मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

<u>वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल</u>

क्रमांक : एफ 5-2/2015/नियम/चार — भोपाल, दिनांक 4-6-2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभाग्ध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय- सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान का निराकरण किये जाने के संबंध में ।

सन्दर्भ- मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-

1. एफ बी-9-1-77-नि-2/चार, दिनांक 21-2-1977.
2. 761/1380/R-III/IV दिनांक 22-6-1988.
3. एफ बी-9/3/78/नि-1/चार, दिनांक 12-2-1980.
4. एफ बी-9-3/81/नि-2/चार, दिनांक 9-6-1981.
5. एफ बी-9-1/84/नि-2/चार, दिनांक 31-7-1984.
6. बी-9/3/85/नि-2/चार, दिनांक 4-10-1986.
7. बी-592/449/87/नि/चार, दिनांक 25-5-1987.
8. एफ-25/26/2002/चार/PWC दिनांक 23-3-2002.
9. एफ 05/4/2005/नियम/चार, दिनांक 29-6-2005.
10. एफ 5-1/2009/नियम/चार, दिनांक 6-4-2009.

♦

संदर्भित ज्ञापनों द्वारा शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों के संधारण तथा अंतिम भुगतान किये जाने बावत निर्देश जारी किये गये है। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग एवं राज्य शासन को निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही है कि सामान्य भविष्य निधि के कटौत्रो के विधिवत संधारित न होने, शासकीय सेवक के सेवानिर्वत्ति के दो वर्ष पूर्व उसकी सामान्य भविष्य निधि कटौत्रा की जानकारी महालेखाकार को न भेजने एवं अंतिम भुगतान बावत प्रपत्रों की पूर्ति नियमानुसार न होने से सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान में विलम्ब हो रहा है।

2/ उपर्युक्त अनुसार विलम्ब के लिए मानव अधिकार आयोग के संदर्भित ज्ञापनो का कड़ाई से पालन करने की तथा सामान्य भविष्य निधि के लेखों के संधारण तथा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान में विलम्ब हेतु कार्यालय प्रमुख को जिम्मेदार मानते हुये उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में टीप अंकित किये जाने की अनुशंसा की है।

3/ कृपया उपर्युक्त अनुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन तथा सामान्य भविष्य निधि के भुगतान में विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक करवाई सुनिश्चित की जाए।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांकः एफ 5-2/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 4-6-2015

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचानालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश

20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ट, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म,प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाइल

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित ।

(अजय चोबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित् विभाग